कार्यालय कलेक्टर

जिला ई–गर्वनेंस सोसायटी (DeGs) जिला –बस्तर जगदलपुर (छ0ग0)

mail – bastar.degs@gmail.com

क्रमांक/305/DeGs/बस्तर 2022–23 जगदलपुर, दिनॉक 14/11/2022

//विज्ञापन//

छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग विभाग (सूचना प्रौद्योगिकी) के अधिसूचना क्रमांक 806/पीएस/एसआआईटी/चॉइस, दिनांक 19 अगस्त 2003 के नियमानुसार लोक सेवा केन्द्र (जिला कार्यालय/तहसील कार्यालय) जिला बस्तर के लिये लोक सेवा ऑपरेटर के रिक्त....06....पद हेतु इच्छुक आवेदकों से दिनांक 30/11/2022......तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है।

लोक सेवा ऑपरेटर के चयन हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

अ. लोक सेवा ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए अर्हता–

1. आवेदक को हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं वर्तमान में अन्य किसी भी कक्षा में नियमित अध्ययनरत ना हो।
2. आवेदक कम्प्यूटर संबधी डिग्री/डिप्लोमाधारी होना चाहिये जिस हेतु कम से कम या समकक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक प्रतिभूतियों, बीमाओ, बैंक गारंटियों या अन्य किसी भी तरीके से पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम हो।
4. कोई व्यक्ति लोक सेवा ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए अर्हता नहीं होगी यदि अच्छे सदाचारिक चरित्र का न हो या किसी दण्डनीय अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जा चुका हो।

ब. लोक सेवा ऑपरेटर चयन की प्रक्रिया–

1. (अ) इच्छुक आवेदकों से केवल निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र लिया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।

   (ब) आवेदन पत्र में दिये गये शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 70 प्रतिशत एवं साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 30 प्रतिशत अंक इस प्रकार कुल 100 अंको के आधार पर सूची तैयार की जायेगी।

   (स) उपरोक्त सूची में कुल अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर प्रथम 50 अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आंमत्रित किया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जायेगा।

(द) मेरिट अनुसार .....06.........अभ्यार्थी का चयन किया जाकर ...10.....अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। चयनित अभ्यार्थी के पदभार ग्रहण नहीं करने, अभ्यर्थी के एक वर्ष के भीतर त्यागपत्र देने अथवा बर्खास्त करने पर प्रतीक्षा सूची से क्रमशः अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

(इ) वर्तमान में जिला कार्यालय एवं तहसील कार्यालय जिला–बस्तर में रिक्त ....06.... पद के विरूद्ध अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची की वैधता के दौरान जिला कार्यालय एवं जिले के समस्त तहसील कार्यालयों में लोक सेवा ऑपरेटर के पद रिक्त होने पर उक्त प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

2. रिक्त ..06.....पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थी, लोक सेवा केन्द्र जिला कार्यालय एवं तहसील कार्यालय बस्तर मं सेवाओं का संचालन करेगा।
3. अधिसूचित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु लोक सेवा गारंटी केन्द्र के लोक सेवा ऑपरेटर को उसके द्वारा दी गई सेवाओं के एवज में छत्तीसगढ़ भाासन द्वारा नियत राशि ''सेवा प्रभार (Service Charge) के रूप में दय होगी, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के शासकीय वेतन, भत्ते या अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जावेगा।
4. चयनित लोक सेवा ऑपरेटर ''छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रानिक अधिशासन) नियम 2003'' में विहित रीति से कार्य करेगा। कलेक्टर सक्षम होंगे कि किसी भी लोक सेवा केन्द्र का निरीक्षण करें अथवा करायें और उनसे अभिलेख या जानकारी मंगवाये और यदि उसे समाधान हो कि कोई अनियमितता की गई अथवा होना संभाव्य है और अधिसूचित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के हित में लोक सेवा ऑपरेटर को निर्देश जारी करने अथवा उसका चयन निलंबन करने की आवश्यकता है, तो वह ऐसे लोक सेवा ऑपरेटर को निर्देश जारी करने अथवा निलंबित/बर्खास्त करने के लिए भी सक्षम होगा।
5. इस बात का समाधान होने पर की लोक सेवा ऑपरेटर ने अनुबंध की किसी शर्त के पालन में व्यतिक्रम किया है, अथवा इन नियमों के तहत् अर्हता की किसी शर्त को पूरा करने में असफल रहा है, अथवा जारी किन्ही निर्देशों के पालन में असफल रहा है, कलेक्टर ऐसे लोक सेवा ऑपरेटर की सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम होंगे।
6. छ.ग. शासन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय नया रायपुर छ.ग. के आदेश क्रमाक 208/स/ई.एवं सू.प्रौ./2016/चॉइस 2.0 दिनांक 05.11.2006 के अनुसार चयन किए लोक सेवा ऑपरेटर को 5,000/–रू. की प्रतिभूति जमा करनी होगी तथा विहित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराया जायेगा।
8. चयन हेतु मेरित सूची में बस्तर जिले के निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
9. चयनित अभ्यर्थी को कार्यालय कलेक्टर जिले ई–गवर्नेस सोसायटी बस्तर के द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी को जिले जिले ई–गवर्नेस सोसायटी के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला में अनिवार्यतः सम्मिलित होना होगा।

11. चयनित अभ्यर्थी को कार्यालय कलेक्टर जिले ई–गवर्नेस सोसायटी, संबधित तहसील कार्यालय के द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य शासकीय कार्यो का निश्पादन करना होगा।
12. चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. अभ्यिर्थियों के द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र यदि संदेहास्पद प्रतीत होंगे तो प्रमाण पत्रों की जांच की जावेगी एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।
14. इच्छुक अभ्यिर्थी केवल स्पीड पोस्ट, डाक, रजिस्ट्री माध्यमों से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि ...30/11/2022...... है। अवेदन निम्नांकित पते पर भेजा जावे–

कार्यालय कलेक्टर, बस्तर

जिला ई–गर्वनेंस सोसायटी (DeGs) जिला –बस्तर जगदलपुर (छ0ग0)

क.कलेक्टर
जिला बस्तर (छ0ग0)

पृ0कमांक / 305 / DeGs/बस्तर 2022–23 जगदलपुर, दिनॉक 14/11/2022

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधिक्षक, बस्तर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), समस्त जिला बस्तर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आइ.सी.को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कर्यालय को सूचनार्थं एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. तहसीलदार समस्त जिला बस्तर को समनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त जिला बस्तर सूचना पटल मे चस्पा हेतु।
9. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, न.पा.प./न.पंचा.समस्त जिला बस्तर सूचना पटल में चस्पा हेतु।
10. सर्व विभाग को सूचनार्थं प्रेषित।

क.कलेक्टर
जिला बस्तर (छ0ग0)

लोक सेवा ऑपरेटर के चयन के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप

लोक सेवा केन्द्र का नाम–जिला एवं तहसील कार्यालय बस्तर

पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में)..
   (अंग्रेजी कैपिटल लेटर में) ....
2. पिता का नाम ....
3. निवास का पूर्ण पता ....
   ....
4. शैक्षणिक योग्यता :

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीण वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

5. जन्म तिथि (अंकों में) ....
   शब्दों में ....
6. मोबाईल नम्बर ....
7. ईमेल आई.डी. ....
8. संलग्न दस्तावेज ....
   ....
   ....
   ....

घोषणा

मैं...पिता का नाम...उम्र.............................
निवासी...यह घोषणा करता / करती हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेंरे ज्ञान एवं विश्‍वास से पूर्णता सत्य है, मैं इसकी सत्यता का / की जिम्मदार हूं। उपरोक्त विवरण के संबंध में मूल दस्तावेज मंगाये जाने पर प्रस्तुत करूंगा / करूंगी। यदि कोई जानकारी असत्य होगी तो वैधानिक कार्यवाही के लिये मै स्वयं जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।

दिनांक –

आवेदक के हस्ताक्षर